माननीय न्यायालय जवाहर लाल गुप्ता, न्यायमूर्ति

धर्मवती चौहान-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-उत्तरदाता

1988 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 149

10अप्रैल, 1997

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226- पंजाब शैक्षिक सेवा वर्ग 3 स्कूल संवर्ग नियम, 1955-परिशिष्ट 'बी'-नियुक्ति के लिए योग्यता-संस्कृत शिक्षक के लिए निर्धारित योग्यता शास्त्री है-एसटीसी या ओ.टी प्रमाण पत्र के साथ- याचिकाकर्ता शिक्षण विषय के रूप में हिंदी के साथ प्रभाकर, शास्त्री और ओटी प्रमाण पत्र की योग्यता के साथ नियुक्ति की मांग कर रहा है -नियम निर्धारित करता है कि ओटी प्रमाण पत्र विशेष विषय में होना चाहिए-ऐसा होने पर जब नियम के अनुसार व्यक्ति को संस्कृत शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए ओटी प्रमाण पत्र के साथ शास्त्री की योग्यता होनी चाहिए तो यह संस्कृत विषय में प्रशिक्षण प्रमाण पत्र से संबंधित है।

अभिनिर्धारित किया कि नियमों की जांच करने पर, ऐसा प्रतीत होता है कि ओ.टी प्रमाणपत्र विशेष विषय में होना चाहिए। इसी तरह, एस. टी. सी. की योग्यता जो कि विशेष शिक्षण प्रमाणपत्र है, भी उसी विषय से संबंधित होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यह बताया जा सकता है कि शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक के पद के लिए, शारीरिक शिक्षा में प्रशिक्षण के साथ एस. टी. सी. की योग्यता निर्धारित की गई है। एस. टी. सी. पाठ्यक्रम में दो साल के प्रशिक्षण के साथ शारीरिक शिक्षा में प्रमाण पत्र की एक वैकल्पिक योग्यता निर्धारित की गई है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने संस्कृत के लिए विशेष शिक्षण प्रमाणपत्र प्राप्त किया है, तो उसे शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक होने के लिए योग्य नहीं कहा जा सकता। अन्य पदों के संबंध में भी यही स्थिति होगी। श्री आर. के. मलिक स्वीकार करते हैं कि जब याचिकाकर्ता ने प्राच्य प्रशिक्षण प्राप्त किया था, तो उन्होंने शिक्षण विषय के रूप में हिंदी को चुना था। यह इस तथ्य का संकेत है कि प्राच्य प्रशिक्षण प्रदान करते समय, किसी विशिष्ट विषय को इंगित करना पड़ता है। ऐसा होने पर, जब नियम के अनुसार किसी व्यक्ति के पास संस्कृत शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए ओ. टी. प्रमाणपत्र के साथ शास्त्री की योग्यता होनी चाहिए, तो यह स्पष्ट रूप से संस्कृत विषय में प्रशिक्षण प्रमाणपत्र से संबंधित है।

(पैरा 5)

भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 226/227-निर्देश-निदेशक लोक निर्देश द्वारा जारी परिपत्र को चुनौती के रूप में अधिकार क्षेत्र के बिना और नियमों के पूरक के रूप में-निर्देश केवल यह इंगित करने के लिए जारी किए गए हैं कि न्यूनतम योग्यता ना रखने वाले व्यक्तियों को उन विषयों में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए- जारी किए गए निर्देश स्पष्टीकरण के माध्यम से हैं-नियम में कोई संशोधन या परिवर्तन नहीं किया गया-यह तर्क कि निर्देश अधिकार क्षेत्र के बिना थे, नहीं बनाए रखा जा सकता है।

अभिनिर्धारित किया कि निदेशक ने केवल यह इंगित करने के लिए निर्देश जारी किए थे कि जिन व्यक्तियों के पास विभिन्न पदों के लिए न्यूनतम योग्यता नहीं है, उन्हें उन विषयों में शिक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। इस वृत्त के साथ, एक प्रदर्शन जारी किया गया था। संस्कृत शिक्षक के पद के लिए, निम्नलिखित योग्यताएँ इंगित की गई थीं। -

"(i) हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शास्त्री (संस्कृत में ऑनर्स)।

(ii) हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित संस्कृत में एलटीसी (ओ.टी) में उत्तीर्ण या हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष योग्यता ।"

ये अर्हताएँ वैधानिक नियमों में उल्लिखित योग्यताओं के लगभग समान हैं। यह केवल स्पष्टीकरण के माध्यम से था कि यह उल्लेख किया गया है कि ओ.टी संस्कृत में होना चाहिए। नियमों की व्याख्या पर यह एक संभावित दृष्टिकोण है। नियमों के तहत, निदेशक सेवा में भर्ती करने के लिए सक्षम है। वह विभाग के प्रमुख हैं। वह ऐसे निर्देश जारी कर सकता है जो स्पष्टीकरण के माध्यम से हों। ऐसा करते समय नियम में कोई संशोधन नहीं किया गया था। नियम में कोई बदलाव भी नहीं किया गया था। यह केवल एक स्पष्टीकरण था। नतीजतन, इस तर्क को कायम नहीं रखा जा सकता है कि निर्देश पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना थे।

(पैरा 7)

आर. के. मलिक, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता की ओर से।

रितु बहरी, ए. ए. जी. हरियाणा के लिए।

फैसला

जवाहर लाल गुप्ता, न्यायमूर्ति

(1) याचिकाकर्ता को 9 मार्च, 1981 से 6 जुलाई, 1983 तक विभिन्न स्कूलों में अलग-अलग समय अंतराल पर तदर्थ आधार पर संस्कृत शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। 3 नवंबर, 1983 को लोक शिक्षण निदेशक ने एक परिपत्र जारी किया जिसमें कहा गया था कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति जिसके पास न्यूनतम निर्धारित योग्यता नहीं है, उसे शिक्षक के किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। संस्कृत शिक्षक के पद के लिए निर्धारित

योग्यता हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शास्त्री (संस्कृत में सम्मान) और हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित संस्कृत में एलटीसी (ओटी) या समकक्ष योग्यता थी। यह जानने पर कि उनकी सेवाएं समाप्त होने वाली हैं, याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका दायर की। वास्तव में, बर्खास्तगी के आदेश 27 दिसंबर, 1983 को पारित किए गए थे। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसके पास प्रभाकर शास्त्री और ओ.टी की योग्यताएं हैं। और इस तरह, वह इस पद के लिए पात्र थी। नतीजतन, उन्होंने प्रार्थना की कि उत्तरदाताओं को उनकी सेवाओं को समाप्त नहीं करने का निर्देश दिया जाए।

(2) प्रत्यर्थियों की ओर से दायर लिखित बयान में यह बताया गया है कि याचिकाकर्ता को तदर्थ आधार पर नियुक्त किए जाने के कारण पद का कोई अधिकार नहीं था। यह आगे कहा गया है कि हिंदी में प्रभाकर और ओ.टी की योग्यताएँ। संस्कृत शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं थी। याचिकाकर्ता अयोग्य था। नतीजतन, वह सेवा में बने रहने की हकदार नहीं थी।

(3) दोनों पक्षों के वकीलों को सुना गया है।

(4) याचिकाकर्ता के वकील श्री आर. के. मलिक ने दोहरी दलीलें दी हैं। सबसे पहले, वकील प्रस्तुत करता है कि याचिकाकर्ता संस्कृत में शिक्षक के पद के लिए योग्य है और इस प्रकार सेवा में बने रहने का हकदार है। उन्होंने 1992 के सी डब्ल्यू पी संख्या 15397 में डिवीजन बेंच द्वारा पारित 20 मई, 1993 के आदेश पर भरोसा किया है। दूसरा, वकील ने प्रस्तुत किया है कि लोक निर्देश निदेशक के पास वैधानिक नियमों के पूरक कोई निर्देश जारी करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। इस प्रकार, निदेशक द्वारा जारी परिपत्र-दिनांक 3 नवंबर, 1983 का पत्र, जिसकी एक प्रति रिट याचिका के साथ अनुलग्नक पी-1 के रूप में प्रस्तुत की गई है, रद्द किए जाने के योग्य है। याचिकाकर्ता की ओर से किए गए दावे का प्रतिवादियों के वकील ने खंडन किया है।

(5) यह सच है कि शिक्षक के पद पर भर्ती पंजाब शैक्षिक सेवा वर्ग 2 स्कूल संवर्ग नियम, 1955 के प्रावधानों द्वारा की जाती है। इन नियमों के परिशिष्ट 'बी' में विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए योग्यताएं निर्दिष्ट की गई हैं। संस्कृत शिक्षक के पद के लिए, निर्धारित योग्यताएँ हैं-शास्त्री, एस. टी. सी. या ओ. टी. प्रमाणपत्र के साथ। शिक्षण के विभिन्न अन्य पदों के लिए भी योग्यता निर्धारित की गई है। इस प्रकार, वैधानिक नियम की आवश्यकता है कि संस्कृत शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार के पास शास्त्री की योग्यता के साथ एस. टी. सी. या ओ.टी. प्रमाण पत्र होना चाहिए। । परिशिष्ट के अवलोकन से आगे पता चलता है कि प्राच्य शिक्षक (फ़ारसी) जैसे शिक्षकों

की विभिन्न अन्य श्रेणियों के लिए ओटी प्रमाणपत्र की आवश्यकता निर्धारित की गई है इस पद के लिए योग्यता मुन्शी फाजिल, एस. टी. सी. या ओ.टी. प्रमाण पत्र के साथ। हिंदी शिक्षक के पद के लिए, योग्यता शास्त्री/प्रभाकर, एस. टी. सी. या ओ.टी. प्रमाण पत्र के साथ । यहाँ तक कि पंजाबी शिक्षक के पद के लिए भी योग्यताएँ हैं-प्रशिक्षण के साथ पंजाबी में सम्मान (एस. टी. सी. या ओ.टी. प्रमाण पत्र). उत्तरदाताओं की वकील सुश्री बहरी बताती हैं कि नियम दोहरी योग्यता निर्धारित करते हैं। सबसे पहले, विशेष विषय में एक शैक्षणिक डिग्री निर्धारित की गई है। संस्कृत शिक्षक के मामले में, अकादमिक डिग्री शास्त्री की है। इसके साथ ही, एक उम्मीदवार के पास एक प्रमाण पत्र या ओरिएंटल प्रशिक्षण होना आवश्यक है। यह प्रशिक्षण किसी विशेष विषय में होना चाहिए। जिस व्यक्ति को फारसी पढ़ाने के लिए नियुक्त किया जाता है, उसे उस विषय को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। उसे प्रत्येक कृति का सही उच्चारण प्रस्तुत करने में सक्षम होना चाहिए। प्रशिक्षण के बाद, उसे स्कूल जाने और अपने विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए। एक व्यक्ति जिसे पंजाबी पढ़ानी है, उसे उस विषय के शिक्षण में प्रशिक्षण होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है कि एक व्यक्ति जो पंजाबी पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित है, वह केवल शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण करके संस्कृत शिक्षक के पद के लिए योग्य होगा। इस प्रकार, नियमों की जांच पर, यह प्रतीत होता है कि ओ.टी. प्रमाणपत्र विशेष विषय में होना चाहिए। इसी तरह, एसटीसी की योग्यता जो कि विशेष शिक्षण प्रमाणपत्र है, भी उसी विषय से संबंधित होनी चाहिए । उदाहरण के लिए, यह बताया जा सकता है कि शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक के पद के लिए, शारीरिक शिक्षा में प्रशिक्षण के साथ एसटीसी की योग्यता निर्धारित की गई है। एसटीसी पाठ्यक्रम में दो साल के प्रशिक्षण के साथ शारीरिक शिक्षा में प्रमाण पत्र की एक वैकल्पिक योग्यता निर्धारित की गई है । मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने संस्कृत के लिए विशेष शिक्षण प्रमाणपत्र प्राप्त किया है, तो उसे शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक होने के लिए योग्य नहीं कहा जा सकता है। अन्य पदों के संबंध में भी यही स्थिति होगी। श्री आर. के. मलिक स्वीकार करते हैं कि जब याचिकाकर्ता ने प्राच्य प्रशिक्षण प्राप्त किया था, तो उन्होंने शिक्षण विषय के रूप में हिंदी को चुना था। यह इस तथ्य का संकेत है कि प्राच्य प्रशिक्षण प्रदान करते समय, किसी विशिष्ट विषय को इंगित करना पड़ता है। ऐसा होने पर, जब नियम के अनुसार किसी व्यक्ति के पास संस्कृत शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए ओ. टी. प्रमाणपत्र के साथ शास्त्री की योग्यता होनी चाहिए, तो यह संस्कृत विषय में प्रशिक्षण प्रमाणपत्र से संबंधित है।

(6) श्री आर. के. मलिक प्रस्तुत करते हैं कि 3 नवंबर, 1983 को जारी किए गए निदेशक का पत्र पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र से बाहर है।विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, निदेशक नियमों के पूरक निर्देश जारी नहीं कर सकता है।

(7) विवाद गलत है।वास्तव में निदेशक ने केवल यह इंगित करने के लिए निर्देश

जारी किए थे कि जिन व्यक्तियों के पास विभिन्न पदों के लिए न्यूनतम योग्यता नहीं है, उन्हें उन विषयों में शिक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।इस परिपत्र के साथ एक प्रदर्शन भी जारी किया गया था।संस्कृत शिक्षक के पद के लिए निम्नलिखित योग्यताएं इंगित की गई थीं:—

"(i) हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शास्त्री (संस्कृत में)।

(ii) हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित संस्कृत में एलटीसी (ओ.टी) में उत्तीर्ण या हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष योग्यता।"

ये अर्हताएँ वैधानिक नियमों में उल्लिखित योग्यताओं के लगभग समान हैं। यह केवल स्पष्टीकरण के माध्यम से था कि यह उल्लेख किया गया है कि ओ.टी. संस्कृत में होना चाहिए। नियमों की व्याख्या पर यह एक संभावित दृष्टिकोण है। नियमों के तहत, निदेशक सेवा में भर्ती करने के लिए सक्षम है। वह विभाग के प्रमुख हैं। वह ऐसे निर्देश जारी कर सकता है जो स्पष्टीकरण के माध्यम से हों। ऐसा करते समय नियम में कोई संशोधन नहीं किया गया था। नियम में कोई बदलाव भी नहीं किया गया था। यह केवल एक स्पष्टीकरण था। नतीजतन, इस तर्क को कायम नहीं रखा जा सकता है कि निर्देश पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना थे।

(8) श्री आर. के. मलिक ने इंगित किया है कि किताब सिंह बनाम हरियाणा राज्य के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि विभाग द्वारा दिए गए निर्देश-दिनांक 3 नवंबर, 1993 के परिपत्र पत्र द्वारा प्रकृति में संभावित थे। तर्क यह है कि याचिकाकर्ता को पहले ही वर्ष 1981 में सेवा में नियुक्त किया जा चुका है, उसकी सेवाएं उपरोक्त परिपत्र के अनुसरण में समाप्ति के लिए उत्तरदायी नहीं थीं।

(9) यहां तक कि यह तर्क भी गलत है। मान लीजिए, याचिकाकर्ता को विशुद्ध रूप से तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था। वर्ष 1981 में याचिकाकर्ता ने 9 मार्च, 1981 से 12 मई, 1981 तक लगभग दो महीने तक काम किया था। इसके बाद, उन्हें 2 मार्च, 1982 को नियुक्त किया गया और उनकी सेवाओं को 18 मई, 1982 को समाप्त कर दिया गया। फिर, याचिकाकर्ता ने 17 जुलाई, 1982 से 15 जनवरी, 1983 तक सेवा की। इस स्थिति में, यह स्पष्ट है कि नियुक्तियां निश्चित अवधि के लिए थीं। याचिकाकर्ता को अनिश्चित काल तक बने रहने का कोई अधिकार नहीं था, उनकी सेवाओं को कार्यकाल की समाप्ति पर समाप्त किया जा रहा था। इस प्रकार, उन्हें इस पद का कोई अधिकार नहीं था। नियुक्ति विशुद्ध रूप से तदर्थ थी। ऐसा होने पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि विभाग ने उनकी सेवाओं को समाप्त करने में कोई अवैध कार्य किया था।

(10) श्री मलिक ने तर्क दिया है कि 1992 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 15397 में इस न्यायालय की खंड पीठ के 20 मई, 1993 के निर्णय को देखते हुए, हिंदी शिक्षक के लिए हिंदी में ओ. टी. होना आवश्यक नहीं है। निर्णय निस्संदेह ऐसा ही कहता है। हालांकि, जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है,

यह स्वीकृत स्थिति है कि याचिकाकर्ता ने केवल शास्त्री, प्रभाकर और भाषा शिक्षक पाठ्यक्रम की परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया है। सटीक रूप से, उसके पास नियमों द्वारा आवश्यक ओटी योग्यता या विशेष प्रशिक्षण प्रमाण पत्र नहीं है। नतीजतन, यह सवाल वास्तव में इस मामले में विचार के लिए नहीं आता है। इसके बावजूद, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने 17 अगस्त, 1973 को याचिकाकर्ता को जारी प्रमाण पत्र की एक फोटो प्रति भी प्रस्तुत की है। इसे मार्क 'ए' के रूप में दर्ज किया गया है। इस प्रमाणपत्र के अवलोकन से पता चलता है कि परीक्षा का भाग II शिक्षण में प्रवीणता से संबंधित है। हिंदी, संस्कृत और पंजाबी के तीन अलग-अलग विषयों का उल्लेख किया गया है। याचिकाकर्ता के मामले में, संस्कृत और पंजाबी को खारिज कर दिया गया है। परिणामस्वरूप, उन्होंने हिंदी पढ़ाने में प्रवीणता प्राप्त कर ली थी। इसके अलावा, भाग III (सिद्धांत) में पेपर VI शिक्षण की विधि से संबंधित है। इसके लिए भी हिंदी, संस्कृत और पंजाबी के तीन अलग-अलग विषयों का संकेत दिया गया है । जहाँ तक याचिकाकर्ता का संबंध है, संस्कृत और पंजाबी के विषयों को हटा दिया गया है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि एक उम्मीदवार जो भाषा शिक्षक परीक्षा से गुजरता है, वह वास्तव में एक विशेष विषय जैसे हिंदी या संस्कृत या पंजाबी में प्रशिक्षित होता है । वह उस विषय को पढ़ाने में प्रवीणता प्राप्त करता है। इस संदर्भ में, यह मान लेना उचित होगा कि जब नियम किसी संस्कृत शिक्षक के लिए ओटी के साथ शास्त्री की योग्यता निर्धारित करता है, तो यह आवश्यक है कि उम्मीदवार उस विषय को पढ़ाने की विधि सीख ले और उसमें प्रवीणता प्राप्त करे।

(11) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने में उत्तरदाताओं की कार्रवाई बिल्कुल कानूनी और वैध थी। इसके अलावा, विवादित परिपत्र में कोई दुर्बलता नहीं थी। नतीजतन, इस रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं है। तदनुसार, इसे खारिज कर दिया जाता है। हालांकि, मामले की परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

अजीतपाल सिंह
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
हिसार, हरियाणा